The Report of the Team is expected shortly.

A decision has also been taken that the Delhi Transport Undertaking should be replaced by a statutory Road Transport Corporation to be set up under the Road Transport Corporations Act 1950. The Road Transport Corporations (Amendments) Bill, 1966 was introduced in the Lok Sabha in August, 1966. With the dissolution of the Third Lok Sabha, the Bill has lapsed and the question of re-introducing this Bill in Parliament is now under consideration.

Replacement of I.A.C. Viscounts

1540. Shri Mohan Swarup:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Kishan Gupta:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Yogendra Sharma:
Shri Chandra Shekhar Singh:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision was taken sometime back for replacing Viscounts of the Indian Airlines Corporation;

(b) if so, the estimated cost thereof;

(c) whether it is also a fact that this decision has now been changed; and

(d) if so, the reason therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (d). The question whether the Viscount Aircraft in the fleet of the IAC should be replaced and, if so, by what type of aircraft, is under examination.

रबी की फसलों के मूल्य

1541. श्री मोहन स्वरूप :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज वाहिल :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रवील :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री किंकर सिंह :
श्री भैरों :
श्री कोलाई बिस्वास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं उगाने वाले राज्यों को सरकार ने रबी की फसल के अनाज के मूल्य नियत करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये अप्रैल, 1967 में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 1967—68 के सीजन में रबी फसल के अधिप्राप्ति मूल्यों पर विचार विमर्श हुआ था। सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से गेहूं का जो अधिप्राप्ति मूल्य प्रमुख रूप से गेहूं पैदा करने वाले राज्यों में निर्धारित किये गये हैं वे गत वर्ष की अपेक्षा अधिक हैं। प्रमुख रूप से गेहूं पैदा करने वाले राज्यों में जो अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किये गये हैं वे इस प्रकार हैं:-

	रु० प्रति क्विंटल
पंजाब और हरियाणा (का औसत) .	70—75
मध्य प्रदेश . .	65—77
राजस्थान . .	77—85
उत्तर प्रदेश . .	80—85